Join Telegram For Application Form



भारत सरकार/Government of India

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying पशुपालन एवम डेयरी विभाग, / Department of Animal Husbandry & Dairying क्षेत्रीय चारा केन्द्र, / Regional Fodder Station

पोस्ट आफिसः टैक्सटाईल मिल्स, हिसार 125001 (हरियाणा)/Post Office Textile Mills, Hisar टैलीफैक्स 01662–259184, इ.मेल rfs.hisar-ahd@gov.in, rfshisardirector@gmail.com Tel./fax: 01662-259184, email: rfs.hisar-ahd@gov.inrfshisardirector@gmail.com

कमांक : आर.एफ.एस. / 1-,33 / 23-24 / स्था. / 6 0 🛭

दिनांक 16.01.2024

सेवा में.

अवर सचिव (प्र० 6) भारत सरकार, मत्सयपालन, पशुपालन और डेयरी मत्रालय, पशुपालन एवम डेयरी विभाग, चन्द्रलोक भवन नई दिल्ली

विषयः क्षेत्रीय चारा केन्द्र, हिसार पर फार्म परिचारक सह श्रमिक (Farm Attendant-cum-Labour) के पद को सीधी भर्ती से भरने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशन अनुरोध ।

महोदय.

उपरोक्त विषयांतर्गत मंत्रालय के पत्रांक Q-14014/1/2020-admin_6 [E-17619] दिनांक 29.12.2023 की निरन्तरता में अवगत कराया जाता है कि है कि केन्द्र पर विभिन्न श्रेणीयों से फार्म परिचर सह श्रमिक के 10 पद भरने हेतु आवश्यक प्रक्रिया के अंतर्गत सरप्लस सैल से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र ले लिया गया है तथा रिक्ति संबंधी सूचना रोजगार समाचार में प्रकाशन हेतु भेज दी गयी है । इसी संदर्भ में संलग्न रिक्ति परिपत्र व्यापक प्रसार हेतु विभाग की वैबसाईट www.dahd.nic.in पर अपलोड करने की कृपा करें । विभागीय वैबसाईट पर रिक्ति अपलोड होने के पश्चात रोजगार कार्यालय हिरयाणा एवम् NCS Portal पर रिक्ति अधिसूचित की जायेगी ।

संलग्न : यथोक्त

डा. प्री. पी. सिंह)

निर्देशक ग्रामी



भारत सरकार/Government of India

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying पशुपालन एवम डेयरी विभाग, / Department of Animal Husbandry & Dairying क्षेत्रीय चारा केन्द्र, / Regional Fodder Station

पोस्ट आफिसः टैक्सटाईल मिल्स, हिसार 125001 (हरियाणा)/Post Office Textile Mills, Hisar टैलीफैक्स 01662-259184, इ.मेल rfs.hisar-ahd@gov.in, rfshisardirector@gmail.com
Tel./fax: 01662-259184, email: rfs.hisar-ahd@gov.inrfshisardirector@gmail.com

क्रमांकः आर.एफ.एस./1-33/23-24/स्था./608

दिनांक : 12.01.2024

16

रिक्ति परिपत्र

1- भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीनस्थ क्षेत्रीय चारा केन्द्र, हिसार में फार्म परिचारक सह श्रमिक के 10 पदों को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों सें आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं ।

OLU 6 1				
पद का नाम	वेतनमान	भर्ती का	रिक्तियों	श्रेणी
		तरीका	की संख्या	
फार्म परिचारक सह श्रमिक (साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ग अराजपत्रित, अनुनसचिवीय)	स्तर —1 (18000 — 56900) वेतन मैट्रिक्स में	सीघी भर्ती के माध्यम से	10 (दस)	1.अनारक्षित श्रेणी (यू. आर.) 04 पद* 2. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी) 02 पद 3. आर्थिक रुप से पिछड़ा वर्ग (ई डब्लू. एस.) 01 पद 4. अनुसूचित जाति (एस.सी.) 03 पद * एक पद दिव्यांग श्रेणी (श्रवण बाधित) हेतु आरक्षित है ।

2. फार्म परिचारक सह श्रमिक के पद के लिए आवेदन करने के लिये आवश्यक अर्हता [जी.एस. आर. संख्या 200 दिनांक 12.11.2023] :

सख्या	200 दिनाक 12.11.2023] :			
(i)	सीधी भर्ती के लिए आयु	18 से 27 वर्ष के बीच (विभागीय अभ्यार्थियों के लिए शिथिल		
	सीमा	करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)		
		टिप्पणी :		
		 1. आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीत जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई है । 2. रोजगार कार्योलयों के माध्यम से उन पदों की बाबत जिनपर नियुक्ति की दशा प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है । 		
(ii)	शैक्षिक योग्यता	आवश्यक :		
		(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से मैट्रिकुलेशन		
		या समतुल्य उर्तीर्ण : और		
		(ii) किसी प्रतिष्ठित संस्थान या फार्म में पशुपालन		
		कार्यकलापों में एक वर्ष का अनुभव		



		टिप्पणी 1: अर्हताएए अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जायें, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं ।
		टिप्पणी 2.: अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जायें, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रकम पर सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदाय के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं हैं।
(iii)	परिवीक्षा की अवधि	दो वर्ष

- 3. प्रत्येक मामले में सभी उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने की तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन में आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि होगी ।
- 4. उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई जन्मतिथि जो मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज है, आयु के निर्धारण के लिए स्वीकार की जायेगी और बाद में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर न तो विचार किया जायेगा और न ही अनुमति दी जायेगी ।
- 5. अनुभव के लिए प्रमाणपत्र में स्पष्ट रुप से रोजगार की अवधि (तारीख, महीना और वर्ष), कर्तव्यों की प्रकृति/अवधि के साथ पद (पदों) में प्राप्त अनुभव का उल्लेख होने पर ही योग्यता के आधार पर विचार किया जायेगा ।
- 6. आयु में छूट : भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी नियमानुसार
- 7. चयन की योजना :-
 - 7.1 आवेदनों की संख्या अधिक होने की स्थिति में लिखित/प्रवीणता परीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करते हुए शार्टलिस्टिंग मापदण्ड निर्धारित किया जायेगा ।
 - 7.2 चयन प्रकिया में उम्मीदवार का सत्यापन, दस्तावेजों का सत्यापन, कौशल/प्रवीणता परीक्षा और लिखित परीक्षा शामिल होगी ।
 - 7.3 सभी उम्मीदवारों को अपने आवेदन में किए गए दावे के समर्थन में फोटो कापी और मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा ।
 - 7.4 दस्तावेज सत्यापन में अर्हताप्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को कौशल/प्रवीणता परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी । निर्धारित योग्यता मानकों के अनुसार कौशल/प्रवीणता परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी ।
 - 7.5 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में निर्धारित अंको का न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करना होगा । वरीयता सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी ।
 - 7.6 बराबरी के मामलों का समाधान : उन मामलों में जहां एक से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं, ऐसी स्थिति में निम्नलिखित विधियों को लागू किया जायेगा
 - (i) जन्मतिथि : पहले जन्में उम्मीदवारों को उच्च स्थान पर रख कर
 - (ii) पहले आवश्यक योग्यता प्राप्त करने वाला उम्मीदवार वरिष्ठ होगा ।
 - 7.7 निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन चयन प्रकिया के सभी चरणों में उम्मीदवारों का प्रवेश विशुद्ध रुप से पूर्णतया अनंतिम होगा, यदि सत्यापन के दौरान, चयन प्रकिया से पहले या बाद में किसी भी समय,यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नही करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रदद कर दी जायेगी।
 - 7.8 चयन प्रकिया में सफलता नियुक्ति का अधिकार तब तक प्रदान नहीं करती जब तक कि आवश्यक समझी जाने वाली जांच के बाद, सरकार इस बात से संतुष्ट नहीं होती है कि उम्मीदवार सेवा / पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त हैं।
 - 7.9 नियुक्ति के लिए चुने गये उम्मीदवार भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी हैं अर्थात ये पद अखिल भारतीय सेवा का दायित्व वहन करते हैं ।

7.10 पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, गलत सूचना के लिए दण्ड, चयन की विधि, परीक्षाओं का संचालन, योग्यता सूची तैयार करना और पद का आवंटन, कदाचार में लिप्त पाये जाने पर विवर्जन से सम्बंधित सभी मामलों में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा और इस सम्बंध में किसी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा ।

8. सेवा के सामान्य नियम और शर्ते :--

- 1. पद स्थायी है और "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के अंतर्गत है ।
- 2. नियम और शर्ते भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये केन्द्रीय सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत होगी ।
- 3. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार पूरे नाम (बड़े अक्षरों में), पिता का नाम, जन्मतिथि (ईसवी सन के अनुसार), राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, विकलागता की श्रेणी, घर का पता (पिन कोड, टेलीफोन न., मोबाईल न., ई मेल के साथ) पत्राचार के लिए पता (पिन कोड, टेलीफोन न., मोबाईल न., ई मेल के साथ), शैक्षिक योग्यता, अनुभव का विवरण आदि सहित, पूर्ण जीवन—वृत के साथ सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं । पासपोर्ट आकार की फोटो जिस पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर हों, बायोडाटा पर चिपकाया जाये । निर्धारित प्रारुप में सम्बंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आयु, स्वैच्छिक योग्यता, अनुभव, जाति, विकलागता प्रमाणपत्र आदि के साथ प्रशंसा पत्र की स्व सत्यापित प्रतियों को आवश्यक रूप से सलग्न किया जाये ।
- 4. केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम / स्वायत निकायों में कार्यरत उम्मीदवारों को उचित माध्यम से, उनके नियोक्ता से प्रमाण पत्र के साथ कि न तों उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक मामला लंबित है और न ही इस पर विचार किया जा रहा है, आवेदन करना चाहिए अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा ।
- 5. कोई पत्राचार/पूछताछ पर विचार नहीं किया जायेगा और किसी भी रुप में पक्ष प्रचार करना अयोग्यता होगी ।
- 6. निर्धारित प्रोफार्मा में भरा हुआ आवेदन, पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा आवश्यक दस्तावेजों सहित, निदेशक, भारत सरकार, क्षेत्रीय चारा केन्द्र, पोस्ट आफिस टैक्सटाईल मिल्स, हिसार 125001 (हिरयाणा) को, रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के मीतर पहुंच जाना चाहिए । आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर "फार्म परिचर सह श्रमिक के पद के लिए आवेदन" लिखा होना चाहिए । नियत तारीख के बाद प्राप्त आवेदन (ओ) और ई मेल, फैक्स या इसी तरह के माध्यम से प्राप्त आवेदन (ओ) पर विचार नहीं किया जायेगा ।

7. यदि अंतिम तिथि को शनिवार / रिववार या कोई भी शासकीय अवकाश होता है तो ठीक अगले कार्य दिवस को निर्णायक तिथि माना जायेगा ।

(डा. पी. पी. सिंह)



भारत सरकार/Government of India

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying पशुपालन एवम डेयरी विभाग, / Department of Animal Husbandry & Dairying क्षेत्रीय चारा केन्द्र, / Regional Fodder Station

पोस्ट आफिसः टैक्सटाईल मिल्स, हिसार 125001 (हरियाणा)/Post Office Textile Mills, Hisar टैली/फैक्स 01662-259184, इ.मेल <u>rfs.hisar-ahd@gov.in</u>, <u>rfshisardirector@gmail.com</u> Tel./fax: 01662-259184, email: <u>rfs.hisar-ahd@gov.in</u> <u>rfshisardirector@gmail.com</u>

No: RFS/1-33/23-24/Estt. 608

Dated: 16/01/2024

VACANCY CIRCULATION

1. Applications are invite from eligible candidates for filling up of the post of **FARM ATTENDANT CUM LABOUR** at Regional Fodder Station, Hisar, Government of India, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying.

Name of the Post	Pay Scale	Mode of Recruitmen	No. of Vacancies	Category
		t	•	
FARM ATTENDANT	Level-1	through	10 (ten)	1. Unreserved
CUM LABOUR	(Rs.18000	Direct		(UR) 04*
(General Central Service,	-56900)	Recruitment		2. Other Backward
Group-C Non-Gazetted,	in the pay			Cast (OBC) 02
Non Ministerial)	matrix			3. Economically
				backward class
				(EWS) 01
				4. Scheduled Cast
				(SC) 03
				* One post is
				reserved for PwD
				(HH category)

2. Requirement for applying for the post of Farm Attendant cum Labour (GSR No. 200 dated 12.11.2023)

(:)	A 1!!4 D	Determine 10 27 (valerable vinte 10 vineus for deportment	
(i)	Age limit For	Between 18-27 years (relaxable upto 40 years for department	
	Direct recruits	candidates)	
		Note:-	
		(i) The crucial date for determining the age limit shall be the	
		closing date for receipt of applications from candidates (and not	
		the closing date prescribed for those in Assam, Meghalya,	
		Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,	
		Sikkim, Ladakh and Spiti District and Pangi sub-divison of	
		Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Island	
		of Lakshdweep.	
		(ii) In respect of posts, the appointment of which are made	
		through Employment Exchange, the crucial date for determining	
		the age limit shall in each case, be the last date upto which the	
		Employment Exchange are asked to submit the names)	

Oosen

Educational	(i) Matriculation or equivalent pass from a Recognized Board or Institution; and
Qualification	(ii) One year experience in farming activities in a reputed Institute or farm. Note: 1: qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in the
	case of candidates otherwise well qualified. Note: 2 The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of
	selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidate from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
Period of probation	Two years

- 3. The date for determining the eligibility of all candidates in every respect shall be the prescribed closing date for submitting of application in the advertisement in Employment News.
- 4. Date of Birth filled by candidates in the application from and the same recorded in the Matriculation / Secondary Examination Certificate will be accepted for determining the age and no subsequent request for change will be considered or granted.
- 5. Certificate(s) for the entire experience claimed, clearly mentioning the duration of employment (date, month, and year), nature of duties performed / experiences obtained in the post(s) with duration(s) will be considered on merits.

6. Age Relaxation: As per extant Govt. Rules

7. Schemes of selection.

- 7.1 In the event of number of applications being large, short listing criteria to restrict the number of candidates to be called for written / proficiency test will be adopted.
- 7.2 The selection process will include verification of candidates, verification of documents, skill/ proficiency test and written test.
- 7.3 All the candidates have to appear for documents verification along with photocopies and original documents, in support of the claim made in their application.
- 7.4 The candidates who qualify the documents verification will be allowed to appear for skill / proficiency test, skill / proficiency test will be qualifying nature as per the qualifying standards fixed.
- 7.5 The candidates have to score the minimum percentage of marks fixed in written test. The merit will be drawn based on the marks obtained in written test.
- 7.6 Resolution of the cases: In cases where more than one candidates secures the equal aggregates marks in written test, tie will be resolved by applying the following methods:(i) Date of Birth, with older candidates placed higher (ii) Candidates acquiring essential qualification earlier would be senior.

Oben

- 7.7 The admission of the candidates at all stages of the selection process will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions, if, on verification, at any time before or after the selection process. it is found that they do not fulfill any of the eligibility conditions, their candidature will be cancelled.
- 7.8 Success in the selection process confers no right of appointment unless the Government is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the services / post.
- 7.9 Candidates selected for appointment are liable to services anywhere in India. i.e. the posts carry All India service Liability.
- 7.10 The decision of the competent authority in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of the application, penalty for false information, mode of selection, conduct of tests, preparation of merit list and post allocation, debarment for indulging in malpractices will be final and binding on the candidates and no enquiry / correspondences will be entertained in this regards.

8. General terms and conditions of service:

- 1. The post is permanent and covered under "New Pension Scheme (NPS)".
- 2. The terms and conditions will be covered under central civil services rules issued by Government of India from time to time.
- 3. The interested and eligible candidates may apply on plain paper with fill bio-data containing Name in Full (Block letters). Father's name, date of birth(as per Christian era), Nationality, Religion, Caste, Disability, Home Address (with Pin Code, Telephone number, Mobile Number, E-mail), Educational qualifications, Details of experienced etc. Passport size photograph carrying the signatures of candidate on it need to be pasted on the bio-data, Self-attested Copies of testimonials of age, educational qualification experiences caste disability certificate etc issued by respective competent authority, in the prescribed format need to be attached.
- 4. Candidates working in central government / state government / Public Sector Undertaking / Autonomous Bodies should apply through proper channel along with Certificate from their employer that neither any disciplinary case is pending nor contemplated against him Otherwise application will not be considered.
- 5. No correspondence / enquiries will be entertained and canvassing in any form will be a disqualification.
- 6. Duly filled application in the prescribed proforma accompanied by requirement documents should be sent through Registered/Speed Post to the Director, Regional Fodder Station, Post Office: Textil; eMills, Hisar—125001 (Haryana) so as to reach them within 30 days from then date of publication of the advertisement in the Employment News. The cover containing the application should be superscript as "APPLICATION FOR THE POST OF FARM ATTENDANT CUM LABOUR". Application (s) received after the due date and application (s) received through email, fax or similar means will not be considered.

7. If the last date happens to be Satuday, Sunday or closed holiday, the next working day will be taken as crucial date.

Director I/c

(Dr. P.P. Singh)